न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 244 / 2015

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनिया
RAS

1 अयूब आयु 44 वर्ष पुत्र लाड़की बानों।
2 अलमदो आयु 55 वर्ष पुत्री लाड़की बानों।
3 कलसुम आयु 47 वर्ष पुत्री लाड़की बानों।
4 नसीम आयु 41 वर्ष पुत्री लाड़की बानों पुत्री मनीर जाति चेजारा मुसलमान निवासी वार्ड नं. 46 झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू जरिये मुख्तयार शोकत पुत्र हुसैन जाति मुसलमान चेजारा निवासी वार्ड नं. 34 झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 नसीरूदीन आयु 72 वर्ष पुत्र इस्माईल।
2 जैतुन बानों आयु 67 वर्ष पत्नी स्व. गन्नी।
3 युनुस अली आयु 53 वर्ष पुत्र गन्नी।
4 मुख्तयार अली आयु 42 वर्ष पुत्र गन्नी।
5 मन्जुर अली आयु 39 वर्ष पुत्र गन्नी समस्त जाति चेजारा मुसलमान निवासी वार्ड नं. 46 झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
6 अकरम आयु 49 वर्ष पुत्र लड़ली बानों पुत्री मनीर जाति चेजारा।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

7 अमीरन आयु 50 वर्ष पुत्र मुस्लीम जाति चेजारा मुसलमान।
8 जरीन आयु 22 वर्ष पुत्र मुस्लीम जाति चेजारा मुसलमान निवासीगण वार्ड नं. 46 झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
9 लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

अपील आदेश दिनांक 15.04.2015 न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू उनवानी अयुब वगैरह
बनाम नसीरूदीन वगैरह दावा बाबत घोषणार्थ
बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा मु. नं. 190/2011

उपस्थित

1. श्री राजेन्द्र बुडानियां अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री हरिप्रसाद सैनी अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–24.10.2018

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा वाद संख्या 190/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.04.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी अपीलांट ने प्रतिवादी रेस्पोडेंट के विरूद्व विचारण न्यायालय में दावा बाबत भूमि खसरा नम्बर 909,910,921,922 घोषणा बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण की और से आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का आवेदन पेश कर दावा खारिज करने का निवेदन किया विचारण न्यायालय ने वादी का जवाब प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय व डिक्री से वाद वादी खारिज कर दिया। जिसके विरूद्व यह अपील प्रस्तुत हुई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने वादी का वाद यह कहते हुये खारिज कर दिया कि नामान्तकरण की अपील खारिज हो चुकी है अत रेसजुड़ीकाटा के सिद्वान्त के आधार पर आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के मुताबिक वाद खारिज कर दिया। नामान्तकरण की अपील के आधार पर आदेश 7 नियम 11 सीपीसी रेसजुड़ीकाटा के सिद्वान्त लागु नही होते है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में जिला न्यायाधीश झुंझुनू द्वारा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 23.12. 1980 की छाया प्रति, डीएनजे राजस्थान 2013(1) पेज 262, आर.आर.टी. 2010(2) पेज 1337, आर.आर.टी. 2011(1) पेज 237, आर.आर.टी. 2013(1) पेज 356, आर.आर.टी. 2014(1) पेज 201 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय अपास्त करने एवं प्रकरण रिमाण्ड करने का निवेदन किया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि बंटवारे के दावे में रिकार्डेड खातेदार होना आवश्यक है वादी का लोकस नही है लाडकी व उसके वारिश कभी भी खातेदार नही रहे है। चूकि वादी सहखातेदार नही है इसलिए वाद कारण के अभाव में आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधान प्रस्तुत प्रकरण पर लागु होते है। 1972 के नामान्तकरण की अपील 2011 में की गई जो 20.06.2011 को जिला कलेक्टर द्वारा खारिज की गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है विद्वान अधिवक्ता ने लिखित बहस के कथनो को दोहराते हुये अपील खारिज करने का निवेदन किया। अपने कथनों के समर्थन में एआईआर 1933 लाहोर पेज 80 एआईआर 1982 पटना पेज 89 एआईआर 1947 पटना पेज 559 मुस्लिम विधि नियम 216(1) आर.आर.डी 1988 पेज 4, आर.आर. डी 1977 पेज 92 आरबीजे 2017 पेज 334, आरबीजे 2017 पेज 329, एससीसी. 2006 (3) पेज 100, एआईआर 2006 एससी. पेज 1828, आरबीजे 1997 पेज 651, आरबीजे 2014 पेज 184, आरबीजे 2013 पेज 77, एआईआर 1973 एससी पेज 554, एआईआर 1963 पटना पेज 128, एआईआर 1928 मद्रास पेज 14, एआईआर 1998 पटना पेज 1, 1999 पेज 4, सीआईवीसीसी पेज 492, 1997(2) पी.एल.जे. आर. पेज 205, एआईआर 1927 कलकता पेज 836 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में नामान्तकरण की अपील खारिज होने को आधार मानकर वाद चलने योग्य नही होना एवं आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद बाधित होना मानकर वाद खारिज किया है। न्यायालय का यह स्पष्ट अभिमत है कि नामान्तकरण की कार्यवाही एक फिसकल प्रोसिडिंग है जिसकी अपील खारिज होने से नियमित वाद पर आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधान

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

लागू नही होते है। विचारण न्यायालय को विधिक प्रकियानुसार प्रतिवादीगण का जवाब प्राप्त कर उभयपक्ष के साक्ष्य लेकर गुणावगुण पर प्रकरण का निस्तारण करना चाहिए था। प्रस्तुत प्रकरण में न्यायिक दृष्टांतों की रोशनी में आदेश 7 नियम 11 सीपीसी (रेसजुड़ीकाटा) के प्रावधान लागु नही होते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एंव प्रकरण विधिक प्रकियानुसार गुणावगुण पर निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.11.2018 को अपनी उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 24.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

24/x/18

(करतार सिंह पुनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर